सेवा में
सम्माननीय अध्यक्ष जी
लोकसभा
नई दिल्ली

विषय : लोकसभा के तीन सांसदों– श्री अशोक अर्गल (मुरैना, मध्यप्रदेश), श्री महावीर भगौरा (सलुम्बर, राजस्थान) और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मांडला, मध्यप्रदेश) को 22 जुलाई को 'वोट के बदले पैसा' (कैश फॉर वोट्स) कांड में घूस देने के प्रयासों के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद श्री रेवती रमण सिंह, समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री अमर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव श्री अहमद पटेल के विरुद्ध शिकायत।

आदरणीय महोदय,

1. आपको याद होगा कि 22 जुलाई को हम आपसे आपके कक्ष में व्यक्तिगत रूप से मिले थे और हमने आपसे उल्लेख किया था कि हमें विश्वास मत के खिलाफ वोट न देकर यू.पी.ए. सरकार की मदद करने के लिए कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लज्जाजनक तरीके से घूस देने की कोशिश की गई थी। हमारे द्वारा आपके कक्ष में 22 जुलाई को मौखिक शिकायत करने पर आपने सदन में आश्वासन दिया था कि इस कांड की जांच की जाएगी और इस कांड में शामिल सभी लोगों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। रात में देर से प्राप्त हुए 23 जुलाई 2008 के आपके पत्र के जवाब में हम अब लिखित शिकायत दे रहे हैं।

ब्यौरेवार तथ्य निम्न प्रकार हैं :

2. 9 जुलाई 2008 को वामपंथी दलों द्वारा अपना समर्थन वापस लिए जाने के बाद यूपीए सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया था जिसके फलस्वरूप माननीय राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से 21–22 जुलाई को आहूत एक विशेष सत्र में सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा।

हालांकि समाजवादी पार्टी ने 9 जुलाई को यूपीए सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया था, फिर भी सदन में विभिन्न पार्टियों के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व से यह स्पष्ट था कि यूपीए सरकार गैर–यू.पी.ए. पार्टियों के सांसद तोड़े बिना किसी भी हालत में सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गैर–यूपीए दलों से बड़े पैमाने पर सांसद तोड़ने का काम शुरू कर दिया। मीडिया के कुछ वर्गों ने गैर–यू.पी.ए. सांसदों के नाम भी प्रकाशित किए जो या

तो सरकार के लिए वोट देने वाले थे या वोटिंग से अलग रहने वाले थे। 14 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री ए.बी. वर्धन ने नई दिल्ली में आयोजित एक सार्वजनिक रैली में यह आरोप लगाया कि कांग्रेसनीत यूपीए सांसदों की खरीद–फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) में लगी हुई है और उन्होंने प्रति सांसद 25 करोड़ रुपए के खरीद मूल्य का भी उल्लेख किया। यह सुनकर पूरा देश दंग रह गया।

20 जुलाई को श्री अमर सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री बृज भूषण शरण सिंह विश्वास मत में सरकार का समर्थन करेंगे। बड़े पैमाने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बगल में श्री बृज भूषण शरण सिंह को खड़ा करके श्री अमर सिंह ने यह भी दावा किया कि और भी गैर–यू.पी.ए. सांसद जल्द ही टूट जाएंगे। उन्होंने कहा 'हमने अपना पहला पत्ता खोल दिया है।' ''जब 22 जुलाई को हम अपने दूसरे पत्ते खोलेंगे तो अधिकांश लोग चकरा जाएंगे।''

3. गैर यू.पी.ए. पार्टियों के सांसदों और स्वतंत्र सांसदों के अलावा, ''आसानी से लक्ष्य बनाए जाने वाले सांसदों'' की सूची में हमारे नामों का भी जिक्र किया जा रहा था और कि हमें तोड़ा जा सकता था। कई सत्ता के दलालों ने अपने बिचौलिए के जरिए हमसे सम्पर्क साधा लेकिन हमने उनके सम्पर्कों को गम्भीरता से नहीं लिया। जब हमसे सीधे ही सम्पर्क किया गया, तो हमने ''वोटों के बदले पैसा'' कांड का षड़यंत्र रचने वालों का भंडाफोड़ करने का फैसला किया।

4. हमने सीएनएन–आईबीएन न्यूज चैनल से सम्पर्क किया जिसने ''व्हिसल ब्लॉइंग ऑपरेशन'' को रिकार्ड करने और किसी भी हद तक जाकर एक अल्पमत सरकार को बहुमत में बदलने के लिए यू.पी.ए. सरकार के अनैतिक कार्य का भंडाफोड़ करने के लिए अपने सवांददाता श्री सिद्धार्थ गौतम को तैनात किया।

5. सबसे पहले 21 जुलाई को एक बिचौलिया हमें मेरीडियन होटल ले गया जहां उसने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमसे मिलेंगे और विश्वासमत से अलग रहने के लिए हमें पैसा देंगे। हालांकि उनसे यह मुलाकात नहीं हो सकी।

6. 21 जुलाई को देर रात में हमें समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सांसद श्री रेवती रमण का संदेश मिला कि वे अशोक अर्गल के आवास 4 फिरोजशाह रोड़ पर हमसे मिलेंगे। वे आधी रात के बाद आए। उन्होंने हमसे वादा किया कि हमारे हितों का ध्यान रखा जाएगा और यह कि हम श्री अमर सिंह से मिलने के लिए उनके साथ चलें। उन्होंने यह भी कहा कि श्री अमर सिंह के साथ हमारी आमने–सामने मुलाकात होगी और वे हमें दिए जाने वाले पैसों के साथ–साथ सभी बातों को तय करेंगे। पूरी

बैठक और बातचीत सीएनएन–आईबीएन की टीम जिसने अपने खुफिया कैमरे कमरे में छिपाकर रखे थे, द्वारा रिकार्ड की गई।

7. अगली सुबह 22 जुलाई को हम दोनों–श्री अशोक अर्गल और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते–को श्री अमर सिंह से मिलने के लिए उनके आवास 27, लोधी एस्टेट नई दिल्ली ले जाया गया। हम कार नं0 डीएल–7एस–1882 सफेद मारूति झेन में गए। हमारी कार के पीछे सीएनएन–आईबीएन की कार चल रही थी जिसमें श्री सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे। सीएनएन–आईबीएन के रिपोर्टर ने श्री अमर सिंह के घर में घुसते हुए और वहां से निकलते हुए हमारी तस्वीरें खींची।

8. हम श्री अमर सिंह से उनके आवास पर मिले। उन्होंने डींग मारते हुए कहा कि यद्यपि उन्होंने अपेक्षित संख्या की पहले ही ''व्यवस्था'' कर ली है, फिर भी चूंकि श्री रेवती रमण सिंह आपसे पहले ही मिल चुके हैं और उन्होंने इस बैठक का इंतजाम किया है तो मैं 22 जुलाई को होने वाली वोटिंग से अलग रहने के लिए हरेक को 3 करोड़ रुपए दूंगा। हमने बताया कि हमारे पास एक और भी सांसद है जो वोटिंग से अलग रहने को तैयार है। वे तीसरे सांसद को भी उतना ही पैसा देने पर सहमत हो गए। उसके बाद, उन्होंने श्री अहमद पटेल से फोन पर बात की और कहा, ''मेरे पास तीन और कमल हैं।'' उन्होंने श्री अहमद पटेल से हमारी बात भी कराई जिन्होंने इस व्यवस्था के लिए अपनी सहमति दी।

श्री अमर सिंह ने हमें एक करोड़ रुपए की प्रारंभिक टोकन धनराशि देने की पेशकश की और उसे अपने साथ ले जाने के लिए हमें कहा। हमने यह कहते हुए मना किया कि आपके आवास के बाहर पत्रकार खड़े हुए हैं। इसलिए यह पैसा ले जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। श्री अमर सिंह ने यह पैसा 15 मिनट के भीतर अपने सहायक श्री संजीव सक्सेना के हाथ भेजने का वादा किया।

9. श्री अमर सिंह के वादे के अनुसार उनका सहायक जो स्वयं ही अपने आप को श्री संजीव सक्सेना बता रहा था, हमारे 4, फिरोजशाह रोड पहुंचने के तुरंत बाद ही वहां पहुंच गया। वह और उनका सहयोगी एक सफेद रंग की जिप्सी कार नं0–डीएल–2सी–एस–8562 में आए जिसका नं0 हमारे स्टाफ ने नोट किया। हम उसे ड्राइंग रूम में ले गए जहां पहले से ही खुफिया कैमरे लगे हुए थे। श्री सक्सेना के साथ एक और व्यक्ति भी था। वे यह पैसा एक बैग में लाए थे और उन्होंने कुर्सियों के सामने मेज पर बैग को खाली कर दिया जहां हम बैठे हुए थे। एक करोड़ रुपए की धनराशि 10–10 लाख रुपए की 10 गड्डियों में थी और यह अधिकतर 1000 रुपए के करेंसी नोटों में थी।

10. श्री सक्सेना ने तीसरे सांसद की पहचान के बारे में पूछा जिसे श्री अशोक अर्गल ने श्री महावीर भगौरा के रूप में परिचय कराया। श्री सक्सेना, श्री अमर सिंह का टेलीफोन

नं0 लगाते रहे जो बार–बार व्यस्त जा रहा था। अंत में हम तीनों की श्री अमर सिंह से बातचीत कराने के बाद श्री संजीव सक्सेना ने श्री अमर सिंह की तरफ से हमें पैसा दे दिया। एक करोड़ रूपये शुरूआती धनराशि के रूप में थे और शेष आठ करोड़ रूपये बाद में देने का वादा किया गया। यह समूचा प्रकरण भी सीएनएन–आईबीएन टीम ने रिकार्ड किया था।

11. श्री सिद्धार्थ गौतम के अलावा सीएनएन–आईबीएन टीम के और भी तीन लोग श्री अर्गल के घर में मौजूद थे। घर में भाजपा के हमारे एक सहयोगी भी मौजूद थे।

12. श्री संजीव सक्सेना के चले जाने के बाद, सीएनएन–आईबीएन की टीम ने मेज पर नोटों के बंडलों को व्यवस्थित ढंग से रख दिया और दस बंडलों में से प्रत्येक के पहले और अंतिम करेंसी नोट के सीरियल नं0 कैमरे में कैद कर लिए।

13. उसके पश्चात, श्री सिद्धार्थ गौतम ने हमारे सामने की मेज पर एक करोड़ रुपए के नोटों को बिछाकर हमसे विस्तृत इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू रेगुलर कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और उसमें दो दिनों के पूरे घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा शामिल था।

तब श्री सिद्धार्थ गौतम ने इस खोजी रिपोर्ट के प्रोमो का परिचय रिकॉर्ड किया जिसमें अन्य बातों के अलावा कहा ''भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार हॉर्स–ट्रेडिंग कांड को सीएनएन–आईबीएन की खोजी टीम ने कैमरे में कैद किया।''

14. सीएनएन–आईबीएन टीम ने अपनी रिकार्डिंग पूरी की, अपने खुफिया उपकरण समेटे और 22 जुलाई को लगभग दोपहर को श्री अर्गल के घर से चले गए। जाने से पहले उन्होंने आश्वस्त किया कि वे प्रोमो के साथ यह कार्यक्रम शीघ्र ही टी0वी0 पर प्रसारित करेंगे।

15. शाम लगभग 4.30 बजे हम उठकर अध्यक्ष के आसन के सामने महासचिव की मेज तक पहुंचे और थैलों से पैसा निकाला तथा उसे 'वोटों के बदले पैसा' (कैश फॉर वोट) कांड के अभेद्य सबूत के रूप में सभी सम्मानित सदस्यों के सामने रख दिया। हम संसद और राष्ट्र के सामने यह दिखाना चाहते थे कि यू.पी.ए. बहुमत जोकि उसके पास नहीं था, जुटाने के लिए किस हद तक गिर सकती है। ऐसा करते हुए हम धन–शक्ति के घातक प्रभाव से लोकतंत्र को बचाने की भावना से प्रेरित थे।

16. सदन स्थगित हो गया और हमें आपके चेम्बर में बुलाया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की उपस्थिति में हमने सम्माननीय अध्यक्ष जी आपके सम्मुख पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। श्री अमर सिंह द्वारा दी गई राशि को हमने आपके ऑफिस में जमा कराया और रसीद ले ली।

17. घूसखोरी कांड की गंभीरता को देखते हुए और सांसदों को उनके पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने हेतु खुला प्रलोभन देने से सरकार की गैर–कानूनी सहायता से बहुमत जुटाने में मदद की और इस प्रकार संविधान और संसदीय मर्यादाओं पर आघात किया गया। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए गलत काम करने वालों के विरुद्ध तुरंत और अत्यंत कठोर कार्रवाई करें।

18. प्रलोभनों और घूस देकर संसद के कामकाज को आघात पहुंचाने का प्रयास और वह भी विश्वासमत वाले सत्र में नैतिकता का उल्लंघन तो है ही साथ ही विशेषाधिकार का उल्लंघन भी है। हम इस प्रकरण में आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने का अपना अधिकार अभी सुरक्षित रख रहे हैं।

सादर,

भवदीय,

अशोक अर्गल
(मुरैना, मध्यप्रदेश से लोकसभा सांसद)

महावीर भगौरा
(सलुम्बर, राजस्थान से लोकसभा सांसद)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
(मांडला, मध्यप्रदेश से लोकसभा सांसद)